रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1987/माघ 27, 1908
No. 78] NEW DELHI, MONDAY, FEB. 16, 1987/MAGHA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1987

सं. 21/87 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 95(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 52/59-

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 मई, 1959 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"34	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 87.01 से 87.05 के अंतर्गत आने वाले यान।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 87.06 के अंतर्गत आने वाले ऐसे चेसिस जिनमें इंजन लगे हों और उनके शीर्ष सं. 87.07 के अंतर्गत आने वाली बाडी (जिनके अंतर्गत कैब हैं);
35	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उप शीर्ष सं. 5607.90 के अंतर्गत आने वाला नाईलन रज्जुक सूत।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 54.02 के अंतर्गत आने वाले नाईलन (पालीमाईड) सूत।"।

[फ़ा. सं. 261/56/1/87 सी एक्स-8]

डी. एस. नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1987

No. 21/87-Central Excise

G.S.R. 95(E):—In exercise of the powers conferred by rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further

amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/59-Central Excises, dated the 9th May, 1959, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after Serial No. 33 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)
"34	Vehicles falling under Heading Nos. 87.01 to 87.05 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, (5 of 1986)	Chassis fitted with engines falling under Heading No. 87.06 Bodies (including cabs) falling under Heading Nos. 87.07 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);
35	Nylon twine yarn falling under sub-heading No. 5607.90 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)	Nylon (Polamide) Yarn falling under sub heading No. 54.02 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).".

[F. No. 261/56/1/87-CX.-8]

D.S. NEGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987